तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	भंवरलाल/मोतीलाल	
6/1/21	वकुलाय उप० सालिक आदेश दिनांक 21/9/20 की पालना की बाबत पत्रावली आयन्दा दिनांक 25/1/21 को पेश हो sd/- SDO Sojat	
25/1/21	वकुलाय उप० सालिक आदेश दिनांक 21/9/20 की पालना हेतु पुनः TDR Sojat को लिखा जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रा- आयन्दा दिनांक 22/2/21 को पेश हो sd/- SDO Sojat	
~~22/2/21~~ 22/2/21	वकुलाय उपस्थित। आज श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजकीय कार्यो में व्यस्त/भ्रमण/अवकाश पर है। अतः पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 25/2/21 को पेश हो। sd/- रीडर उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, सोजत	
25/2/21	वकुलाय उप०। TDR Sojat से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई ना थी। हो। पत्रावली वास्ते बहस, गौर मौका रिपोर्ट आयन्दा दि- 10/03/21 को पेश हो। sd/- AC Sojat	
10/3/21	वकुलाय उप०। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आयन्दा दिनांक 15/3/21 को पेश हो। sd/- AC Sojat	
15/3/21	वकुलाय उप०। बहस वकुलाय प्रार्थना पत्र धारा 212 राज. काश्त. अधि- 1955 सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 31/3/2021 को पेश हो। sd/- AC Sojat	
31/3/2021	वकुलाय उप०। अभिभाषक मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज० काश्त० अधिनियम R/w O39 R1 व 2 CPC पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम केसवाद में प्रार्थी के सगे मामा धन्नाराम	

sd/-
उपखण्ड अधिकारी
... राज.

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

की वेटी फुकली देवी के नाम की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 604 605, 734, 792 कुल किता 04 कुल रकबा 2.35 00 हेक्टर आदि हुई दियत है। प्रार्थी के नाना मामा धन्नाराम का देहान्त होने के बाद उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि धन्नाराम के पुत्र पुनाराम के नाम दर्ज हुई एवं पुनाराम व फुकली देवी दोनो मृतक धन्नाराम के कानूनी वारिसान होने के कारण पुनाराम का ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुआ। पुनाराम की मृत्यु दिनांक 24/12/2001 को . होने के बाद एक ही विधिक वारिसान फुकलीदेवी होने के कारण म्युटेशन संख्या 541 दिनांक 24/12/01 को सम्पूर्ण भूमि फुकली देवी के नाम दर्ज हुई पुनाराम के कोई जायदा सन्तान पुत्र तथा पुत्री नहीं थे तथा फुकली देवी की बचपन में ना०बा० अवस्था में शादी उसके पिता ने की थी लेकिन फुकली देवी बालिग होने के बाद कभी ससुराल नही गई थी तथा आजीवन अपने माता-पिता के पास रही थी। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की देखभाल हाल पेटे भूमि काश्त फुकली देवी ही करती थी तथा प्रार्थी भंवरलाल को भी सुपुर्द करती थी। प्रार्थी भंवरलाल फुकली देवी का रिश्तेदार था। फुकली देवी की वृद्धावस्था में भरण पोषण सभी प्रकार का खर्चा हर्जा प्रार्थी ही करता था। सन 2015 में फुकली देवी ने ग्राम करमावास यहा में समाज के मौजिज व्यक्तियों को शामिल करके प्रार्थी के घर जुबानी मौखिक रूप से वादग्रस्त भूमि की वसीयत प्रार्थी भंवरलाल के नाम कर दी। दिनांक 31/3/17 को फुकली देवी का देहान्त हो गया। जिसका अंतिम संस्कार व सामाजिक रीति रिवाज, कारज खर्चा प्रार्थी ने किया। अप्रार्थी संख्या 01 मोहनलाल किसी भी तरीके से स्वर्गीय फुकली देवी का रिश्तेदार वारिस नहीं है। किन्तु फिर भी शादी लड़की के बल पर फुकली देवी की भूमि हड़पने की नियत से एक झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवा दिया। इस प्रकार अर्जेन्ट उक्त प्रस्तुत कर भोजा केसार से विवाद भूमि ख०न० 604, 605, 734, 792 कुल रकबा 2.3500 हेक्टर भूमि ही प्रार्थी की है इसके अप्रार्थी पक्षकार अदालती नोटिस तथा नाही अप्रार्थी कागजात को ले जाने से बचत अदायगी करेगा।

उप खण्ड अधिकारी (जिला-पाली)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मं 12/2017 / मो ती 7/17	

अधिवक्ता मय अप्रार्थी संख्या 01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि फुली देवी के गा - मोलाप जोत होने से फुली देवी के रिवाज अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 मोहीलाल के पुत्र रवि को गोद लिया संवत 2072 उक्त गोद की कार्यवाही विजय दशमी फुली देवी की ग्राम केलवाद में किया गया। फुली देवी की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी संख्या 01 का बी अब हक है इस प्रकार जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की इस्तदुआ की है पटवारी हल्का केलवाद की रिपोर्ट पेश हुई

(i) ख.नं. 604, 605, 734 मौजा केलवाद के रिकॉर्ड में फुली देवी w/o धनाराम 1/2 हिस्सा दर्ज है वर्तमान में कोई कौम भोगवटी खा. के खातेदार

(ii) बन्दोबस्त संवत 2028-2030 में उक्त खाते कुल धन्ना कौम भोगवटी पत्नी के पास दर्ज है

(iii) ख.नं. 734 रकबा 0.35 हैक्टेयर में मोहीलाल s/o उदा कौम भोगवाल ने स्वयं की काश्त की बुवाई कर रखी है

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में मृतक फुली देवी का उत्तम श्रेणी का वारिस प्रार्थी है। प्रार्थी को ही समाज के मौजीज व्यक्तियों के सामने गोद लिया था। किन्तु अप्रार्थी भूमि का हड़पने की नियत से प्रार्थी की भूमि में जबरन अवाप्ती करता है जिसे रोके जाने की जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ की। जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी ने निवेदन किया कि फुली देवी का देहान्त केलवाद में हुआ था। फुली देवी की वृद्धावस्था में सार संभाल अप्रार्थी संख्या 01 ने की थी। फुली देवी द्वारा केलवाद में ही मौजीज व्यक्तियों के सामने अप्रार्थी के पुत्र रवि को गोद लिया था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने की इस्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र व उपरोक्त मय दस्तावेजों का अध्ययन कर बहस को ध्यान में रखते हुए गौर कर मनन किया गया।

उप खण्ड अधिकारी (जिला-...) राज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वस्तुतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा पुकली देवी द्वारा प्रार्थी को गोद लिये जाने सम्बंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है ना ही प्रार्थी खातेदार है जमाबंदी रिकॉर्डानुसार भी प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं होता है। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन, तथ्यहीन व पोषणीय नहीं होने से खारिज करना उचित समझते है। — :: आदेश :: — अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act का सारहीन व पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली ऊपरी सुधार देकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ जिला रिकॉर्ड भण्डार जमा हो। (हस्ताक्षर) (दौलतराम चौधरी) उप खण्ड अधिकारी सोजत सोजत (जिला-पाली) राज. निर्णय आज दिनांक 3/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) (दौलतराम चौधरी) उप खण्ड अधिकारी सोजत सोजत (जिला-पाली) राज.	

Scanned with CamScanner